

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर
आदेश

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-**4565/2017**

श्रीमती कविता

बनाम

श्रवण कुमार एवं अन्य

आदेश दिनांक

11 अक्टूबर, 2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री शिवराज अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से

--

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया है कि उन्होंने विलम्ब माफी हेतु धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2017 को कार्यालय में पेश कर दिया है, जो आज पत्रावली में संलग्न नहीं है।

अतः कार्यालय जांच कर उसे पत्रावली में संलग्न कर पत्रावली न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करे।

(न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा)

अनिलशर्मा/M-8

सत्यमेव जयते